



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 763/वि०स०/संसदीय/76(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और
2020 कहा जायेगा; प्रारम्भ

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 की धारा 2 का संशोधन	<p>2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (114) में, उपखण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-</p> <p>“(ग) दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव; (घ) लद्दाख”;</p>
धारा 10 का संशोधन	<p>3-मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, शब्द “माल” के पश्चात् शब्द “या सेवाओं” बढ़ा दिये जायेंगे।</p>
धारा 16 का संशोधन	<p>4-मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (4) में, शब्द “से सम्बन्धित बीजक” निकाल दिये जायेंगे।</p>
धारा 29 का संशोधन	<p>5-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“(ग) कराधेय व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं है या धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छा से किए गए रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है”।</p>
धारा 30 का संशोधन	<p>6-मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“परन्तु यह कि ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बढ़ाई जा सकती है,-</p> <p>(क) संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये; (ख) अपर आयुक्त ग्रेड-एक, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से आगे अग्रतर अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये”।</p>
धारा 31 का संशोधन	<p>7-मूल अधिनियम की धारा 31 में उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-</p> <p>“परन्तु यह कि, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-</p> <p>(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों की श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिनके सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, एक कर बीजक जारी किया जाएगा;</p> <p>(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अधीन ऐसी सेवा श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिसके सम्बन्ध में,-</p> <p>(i) पूर्ति के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक के रूप में जायेगा; या</p> <p>(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।”</p>
धारा 51 का संशोधन	<p>8-मूल अधिनियम की धारा 51 में,-</p> <p>(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-</p> <p>“(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा जैसा विहित किया जाये।”;</p> <p>(ख) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी।</p>
धारा 122 का संशोधन	<p>9-मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>“(1क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) से आच्छादित संव्यवहार की प्रसुविधा प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभुक्त या अन्तरित इनपुट कर प्रत्यय के बराबर की धनराशि की शास्ति के लिये दायी होगा।”</p>

10—मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में,—

धारा 132 का संशोधन

(i) शब्द “जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है”, के स्थान पर शब्द “जो कोई निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, या करवाता है और उससे होने वाली प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करता है” रख दिये जायेंगे;

(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है अथवा बिना किसी बीजक या बिल के इनपुट कर प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग करता है”;

(iii) खण्ड (ङ) में शब्द, “कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति” को निकाल दिया जाएगा।

11—मूल अधिनियम की धारा 140 में, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से —

धारा 140 का संशोधन

(i) उपधारा (1) में, शब्द “विद्यमान विधि के अधीन” के पश्चात्, शब्द “तथा ऐसी समयावधि के भीतर और” बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे;

(ii) उपधारा (2) में, शब्द “नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन” के पश्चात्, शब्द “तथा ऐसी समयावधि के भीतर” बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे;

(iii) उपधारा (3) में, शब्द “स्टाक में धारित अर्द्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये” के स्थान पर शब्द “स्टाक में धारित अर्द्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये” रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;

(iv) उपधारा (5) में, शब्द “विद्यमान विधि” के स्थान पर शब्द “विद्यमान विधि के अधीन ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाये” रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;

(v) उपधारा (6) में, शब्द “नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्द्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क” के स्थान पर शब्द “नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्द्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये” रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे।

12—मूल अधिनियम की धारा 172 में, उपधारा (1) में, परंतुक में, शब्द “तीन वर्ष” के स्थान पर, शब्द “पाँच वर्ष” रख दिये जायेंगे।

धारा 172 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की अनुसूची—दो में, पैरा 4 में, उन दोनों स्थानों पर, जहाँ पर वे आये हों शब्द “चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो” निकाल दिये जायेंगे और वे दिनांक 1 जुलाई, 2017 से निकाल दिये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची दो में संशोधन

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 15
सन् 2020

14—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020, एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
व्यावृत्ति

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा अथवा दोनों के अंतः राज्तीय पूर्ति पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम में नये माल और सेवा कर व्यवस्था में विद्यमान करदाताओं के सुगम संक्रमण के लिये कतिपय उपबंधों की व्यवस्था है, तथापि नयी कर व्यवस्था में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। स्वेच्छा से किये गये रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने के विकल्प को सरल बनाने, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाये जाने, कर बीजक जारी करने एवं स्रोत पर कर की कटौती करने के औचित्यपूर्ण उपबंध करने, कपटपूर्ण रूप से आईटीसी0 प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित किये जाने, विद्यमान विधि में अवशेष आईटीसी0 को जी0एस0टी0 अवधि के लिये अग्रणीत करने तथा अन्य कठिनाइयों को भी नियन्त्रित करने के लिये यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में निम्नलिखित उपबंध करने के लिये संशोधन किया जाय :-

(क) केन्द्र सरकार द्वारा किये गये संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन को अधिनियम में सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 2(114) के उप खण्ड (ग) एवं (घ) को प्रतिस्थापित किया जाना;

(ख) सेवापूर्तिकर्ता के लिये विनिर्दिष्ट समाधान योजना का उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया जाना;

(ग) साखपत्रों द्वारा आईटीसी0 के अन्तरण को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 16(4) में संशोधन किया जाना;

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किन्तु रजिस्ट्रीकरण हेतु गैर उत्तरदायी व्यक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने के विकल्प को सरल बनाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 29(1)(ग) में संशोधन किया जाना;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 30(1) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;

(च) कर बीजक जारी करने के उपबंधों को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 31(2) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;

(छ) स्रोत पर कर कटौती करने के उपबंधों को औचित्यपूर्ण बनाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 51(3) का संशोधन किया जाना तथा धारा 51(4) का निकाला जाना;

(ज) कपट पूर्ण रूप से आईटीसी0 प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 122(1) के पश्चात् नई उपधारा (1क) का बढ़ाया जाना;

(झ) कपट पूर्ण रूप से आईटीसी0 प्राप्त करने के मामले में वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का दायित्व अवधारित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 132(1) में संशोधन किया जाना;

(ञ) विद्यमान विधि में अवशेष आईटीसी0 को जी0एस0टी0 अवधि के लिये अग्रणीत करने से संबंधित उपबंधों में किये गये परिवर्तनों को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 140 में संशोधन किया जाना;

(ट) कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रदान करने की समय-सीमा बढ़ाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 172(1) के परन्तुक में संशोधन किया जाना;

(ठ) अनुसूची-दो में किये गये परिवर्तनों को भूतलक्षी रूप से लागू करने हेतु उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में संशोधन किया जाना।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ,

मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्गस्त है।

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
7	उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (तृतीय संशोधन) विधेयक 2020 के खण्ड-7 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के परन्तुक में राज्य सरकार परिषद की सिफारिशों पर— (क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों की श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, एक कर बीजक जारी किया जाएगा; (ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अधधीन ऐसी सेवा श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिसके संबंध में— (i) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक के रूप में जायेगा; या (ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।
8	उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 के खण्ड-8 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (3) राज्य सरकार को स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के प्रपत्र और उसकी रीति की विहित करने की शक्ति प्रदान करती है।
11	उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 के खण्ड-11 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (5) तथा उपधारा (6) राज्य सरकार को विद्यमान विधि में अवशेष आई0टी0सी0 की धनराशि को जी0एस0टी0 अवधि के लिये अग्रणीत करने के लिये समयावधि विनिश्चित करने और उसकी रीति की विहित करने की शक्ति प्रदान करती है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।

योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा	2(114) “संघ राज्य क्षेत्र” से- XXX XXX XXX (ग) दादरा और नागर हवेली; (घ) दमन और दीव
धारा	16. (4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।
धारा	29. (1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहाँ,- XXX XXX XXX (ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए इससे अधिक दायित्वाधीन नहीं होगा।

- धारा 30. (1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।
- धारा 31. (2) कराधेय सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के उपबंध के पूर्व या पश्चात् परन्तु विहित अवधि के भीतर वर्णन और सेवाओं के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :
- परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए संगठनों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके सम्बन्ध में-
- (क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या
- (ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं हो।
- धारा 51. (3) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो, विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिसकी कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलम्ब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रुपये की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए सौ रुपये की राशि का संदाय करेगा।
- धारा 132. (1) जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है;
- XXX XXX XXX
- (ख) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में गलत प्राप्ति या निक्षेप कर प्रत्यय के प्रयोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों की पूर्ति बिना बीजक या बिल के जारी करना;
- (ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल में प्रयोग का इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;
- XXX XXX XXX
- (ड) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहाँ ऐसा अपराध खण्ड (क) से (घ) में नहीं आता;
- धारा 140. (3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञान हो, या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और उनके पश्चात्वर्ती विक्रय राज्य में कर के अधीन नहीं है, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहां व्यक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने इलेक्ट्रानिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा,
- XXX XXX XXX
- (5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध में अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में मूल्य संवर्धित कर और प्रवेश

कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टॉक में धारित स्टॉक और निवेश के संबंध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा।

धारा

172. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, किसी साधारण या किसी विशेष आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

अनुसूची-2

(धारा 7)

क्रियाकलापों को माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाए
XXX XXX XXX

(4) कारबार आस्तियों का अंतरण--

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चला रहा है, के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहें; जो विचारणीय है या नहीं, ऐसे अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति है;

(ख) जहां कारबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निदेश के अधीन, कारबार के प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग किए गए माल को कारबार के प्रयोजनों से भिन्न किसी निजी उपयोग के लिए रखा गया है या उपयोग कर लिया गया है या किसी व्यक्ति को कारबार के प्रयोजन के सिवाय किसी प्रयोजन में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्ध करवाना, सेवाओं की पूर्ति है;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत हो जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत होने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रतर में उसके द्वारा पूर्ति किया गया समझा जाएगा, जब तक कि :--

(i) अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं कर दिया जाता है; या

(ii) कारबार ऐसे वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 542/XC-S-1-20-43S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Maal Aur Seva Kar (Triteeya Sanshodhan) Vidheyak, 2020" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (THIRD AMENDMENT)
BILL, 2020

A
BILL

for further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as

follows:-

- | | |
|--|---|
| Short title and commencement | 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Act, 2020.
(2) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the <i>Gazette</i> , appoint:
Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act. |
| Amendment of section 2 of U.P. Act no. 1 of 2017 | 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (114), for sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be <i>substituted</i> , namely :-
"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
(d) Ladakh." |
| Amendment of section 10 | 3. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), <i>after</i> the words "of goods", the words "or services" shall be <i>inserted</i> . |
| Amendment of section 16 | 4. In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice relating to such" shall be <i>omitted</i> . |
| Amendment of section 29 | 5. In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be <i>substituted</i> , namely :-
"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25." |
| Amendment of section 30 | 6. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be <i>substituted</i> , namely :-
"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—
(a) by the Joint Commissioner (Executive), for a period not exceeding thirty days;
(b) by the Additional Commissioner Grade-1, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a)." |
| Amendment of section 31 | 7. In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be <i>substituted</i> , namely :-
"provided that the Government may, on the recommendations of the council, by notification,—
(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;
(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—
(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or
(ii) tax invoice may not be issued." |

8. In section 51 of the principal Act,— Amendment of section 51
- (a) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—
- "(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed."
- (b) sub-section (4) shall be *omitted*.
9. In section 122 of the principal Act, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 122
- "(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on."
10. In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),— Amendment of section 132
- (i) *for* the words "Whoever commits any of the following offences", the words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences" shall be *substituted*;
- (ii) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely :—
- "(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;"
- (iii) in clause (e), the words "fraudulently avails input tax credit" shall be *omitted*.
11. In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,— Amendment of section 140
- (i) in sub-section (1), *after* the words "existing law", the words "within such time and" shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted*;
- (ii) in sub-section (2), *after* the words "appointed day", the words "within such time and" shall be *inserted* and shall be deemed to have been *inserted*;
- (iii) in sub-section (3), *for* the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted*;
- (iv) in sub-section (5), *for* the words "existing law", the words "existing law, within such time and in such manner as may be prescribed" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted*;
- (v) in sub-section (6), *for* the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted*.
12. In section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, *for* the words "three years", the words "five years" shall be *substituted*. Amendment of section 172
13. In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4, the words "whether or not for a consideration", at both the places where they occur, shall be *omitted* and shall be deemed to have been *omitted* with effect from the 1st day of July, 2017. Amendment to Schedule II

U.P. Ordinance no. 16 of 2020	14. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) ordinance, 2020. is hereby repealed.	Repeal and saving
--	---	----------------------

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act (U.P. Act no. 1 of 2017), hereafter referred to as the said Act, has been enacted to make a provision of levy and collection of tax on *intra-state* supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh.

2. The said Act, provides for certain provisions for smooth transition of existing tax payers to new goods and service tax regime. However the new tax regime had faced certain difficulties. To simplify to opt out of the registration voluntarily made, to extend the time limit to file the application for revocation of cancellation of registration, to make justified the provisions for issuing of tax invoice and deduction of tax on source, to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fraudulently, to carry forward the remaining ITC in existing law for period of GST and also to overcome other difficulties, it was decided to amend the said Act to provide for,-

(a) substituting sub-clause (c) and (d) of section 2 (114) of the said Act to include the re-organisation of Union territories made by the Central Government in the Act;

(b) amending section 10 of the said Act to provide specific composition scheme for supplier of services;

(c) amending section 16(4) of the said Act to made justified the transfer of ITC by credit notes;

(d) amending section 29(1)(c) of the said Act to simplify to opt out of the registration, by person registered under section 22 or section 24 but not liable for registration and by person voluntarily registered under section 25(3) of the said Act;

(e) amending the proviso of section 30(1) of the said Act to extend the time limit to file the application for revocation of cancellation of registration;

(f) amending the proviso of section 31(2) of the said Act to make justified the provisions for issuing tax invoices;

(g) amending section 51(3) and deleting section 51(4) of the said Act to make justified the provisions for deduction of tax on source;

(h) inserting a new sub-section (1a) after section 122(1) of the said Act to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fraudulently;

(i) amending section 132(1) of the said Act to determine the liability of actual beneficiary person in case of receiving of ITC fraudulently;

(j) amending section 140 of the said Act to implement the changes made in provisions, relating to carry forward the remaining ITC in existing law for the period of GST, from 01 July, 2017;

(k) amending the proviso of section 172(1) of the said Act to extend the time limit for empowering to remove difficulties;

(l) amending Schedule II of the said Act to implement retrospectively the changes made in Schedule II.

3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 15 of 2020) was promulgated by the Governor on July 17, 2020.

4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH,
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.